

## मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना

### चर्चा में क्यों?

9 मई, 2022 को झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस वजिज़पत्त में बताया गया है कि 'मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना' में वगित द्वाइ वरष में तीन गुना लाभ स्वरोज़गार अपनाने वालों को दया गया है।

### प्रमुख बदि

- इसके तहत पछिले वतितीय वरष में 3,976 युवाओं के बीच 59.61 करोड़ रुपए का ऋण वतिरति कया गया है। परणामस्वरूप स्वरोज़गार के लयि वगित दो वरष में तीन गुना युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।
- नई सरकार के गठन के साथ 'मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना' को पुनः शुरू कर इसका लाभ वरष 2021-22 से ही दया जा रहा है।
- इसके तहत राज्य के 18 से 45 वरष के युवा नागरकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लयि न्यूनतम दर पर 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान कया जाता है। इसके साथ-साथ 40% अनुदान (सब्सडी) या 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से प्रदान कया जाता है।
- योजना का लाभ केवल अनुसूचति जाती, अनुसूचति जनजाति, अल्पसंख्यक, पछिडे वरग के नागरकि एवं सखी मंडल की महलाएँ ही प्राप्त कर सकती हैं।